



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9067

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 894 वर्ष 2026

सुरेशआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : लक्ष्मण सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री जे.के. चौरसिया, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 186 वर्ष 2025, धारा 103(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना - साजेती, जिला - कानपुर नगर में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त कमलेश को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 44217 वर्ष 2025 में दिनांक 5.1.2026 को पारित आदेश के द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि चूँकि आवेदक की भूमिका उस सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। आवेदक दिनांक 25.5.2025 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
5. जमानत की प्रार्थना का विद्वान राज्य विधि अधिकारी द्वारा दृढ़तापूर्वक विरोध किया गया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समता तथा आवेदक के कोई आपराधिक इतिहास न होने के उपर्युक्त तथ्यात्मक पहलुओं को उनके द्वारा विवादित नहीं किया गया है।
6. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नभान खा बनाम**

उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938 में पारित निर्णय और उच्चतम न्यायालय द्वारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परस राम विशनोई बनाम निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021 तथा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51 में पारित निर्णयों के प्रकाश में, न्यायालय की यह राय है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन समता के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

7. उक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त आवेदक - सुरेश को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही राशि की दो भारी जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय में (1) प्रकरण के प्रारंभ, (2) आरोप-विरचन और (3) धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के लिए नियत तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों के पहचान, हैसियत एवं निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

14 जनवरी, 2026

शालिनी